मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, सी–विंग, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांकः 1504 /ज.शि.नि.प्र./अ.का.अ./एनआर–14/ 2013, भोपाल, दिनांक : 14/02/2013

परिपत्र – क्रमांक – 1

पारदर्शिता एवं स्वघोषणा

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला – समस्त
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत – समस्त
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी,
   जनपद पंचायत – समस्त
   मध्यप्रदेश।

विषय : पारदर्शिता एवं स्वघोषणा।

संदर्भ :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 (चौथा संसकरण)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 (चौथा संसकरण) के अनुसार अधिकार आधारित कार्यक्रम महात्मा गांधी एनआरईजीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों को संदर्भित दिशा निर्देशों की कंडिका क्रमांक यथावत अंकित करते हुए लागू करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है –

13.7 पारदर्शिता एवं स्व–घोषणा

13.7.1 महात्मा गांधी एनआरईजीएस जैसे अधिकार आधारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का अनुसरण किया जाएगाः

i) एमजीएनआईजीएस के कार्यान्वयन में विभिन्न पहलुओं संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार कामगारों के अधिकारों, विभिन्न मदों तथा सृजित परिसंपत्तियों के खर्चों पर विशेष ध्यान देकर सक्रियता से किया जाए। प्रचार–प्रसार ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची में नियमित मद होगी।

ii) कार्यों के बारे में जानकारी कार्यस्थल पर अनुबंध–1 में दिए गए स्थानीय भाषा के प्रोफार्मा में तथा ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर अनुबंध–2 में दिए गए प्रोफार्मा में प्रदर्शित की जाएगी।

iii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्व–सहायता समूहों से एक तथा विभिन्न कार्यक्रमों के समुदाय आधारित संगठन से एक व्यक्ति को स्वयंसेवक चुना जा सकता है ताकि उसे अपने संबंधित समूह में तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे उपेक्षित समूहों में एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार करने का प्रशिक्षण दिया जा सके।

iv) भारत–निर्माण स्वयंसेवकों को भी एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार करने में शामिल किया जा सकता है।

v) उच्च विद्यालयों तथा इससे ऊपर के स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को भी एमजीएनआरईजीए के सभी पहलुओं जिसमें इसका कार्यान्वयन भी शामिल है, के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

vi) युवा क्लबों, महिला समूहों तथा सिविल सोसायटी संगठनों को भी योजना की पूर्व में जानकारी दी जा सकती है।

vii) सभी ग्रामीण पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों को नियमित आधार पर अपेक्षित जानकारी दी जा सकती है।

viii) ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव तथा रोजगार गारंटी सहायक (रोजगार सहायक), मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन सहित एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13.8 सूचना का अधिकार अधिनियम

13.8.1 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी विषयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए जिसमें सूचनाओं की स्व–घोषणा का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) जैसे नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध जानकारी ग्राम पंचायत में भवनों की दीवारों पर लिखी जाएं। दीवारों पर लिखी गई जानकारी में उपलब्ध कराए गए कार्य के दिनों की संख्या तथा एक वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्डधारक को किए गए भुगतान, स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची, मजदूरी और सामग्री घटक पर खर्च, विभिन्न सामग्री मदों की मात्रा तथा दरें जिसके हिसाब से ये खरीदी गई हैं, शामिल होगी। यह प्रणाली (जनता सूचना प्रणाली) ग्रामवासियों जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं हो सकती है, के लिए एमआईएस की पहुंच को सुनिश्चित करेगी।

13.8.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जमा कराए गए आवेदनों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई हो जानी चाहिए। विशेष रूप से, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित किसी भी तरह की सूचना उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित सभी सूचनाएं सार्वजनिक परिवृत्त का हिस्सा हैं।

13.8.3 महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को किसी के श्आवेदनश का इंतजार किए बिना अपनी ओर से ही सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाना चाहिए। राज्य रोजगार गारंटी परिषद को इस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजों (उपलब्ध कराए गए कार्य के दिनों की संख्या तथा एक वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्डधारक के लिए किए गए भुगतान, स्वीकृति कार्यों की सूची, मजदूरी तथा सामग्री घटक पर हुए खर्च, विभिन्न सामग्री मदों की मात्रा तथा दरें, जिनके हिसाब से ये खरीदी गई हैं) की सूची तैयार करनी चाहिए और उसे समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

13.8.4 प्रत्येक स्तर पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्डस और सूचनाएं जनता की सहज पहुंच में हों। अब तक मिली मांगों, पंजीकरण, जारी किए जा चुके रोजगार कार्डों की संख्या, काम मांगने वालों और काम पा चुके/ नहीं पा चुके व्यक्तियों की सूची, प्राप्त और खर्च हुए अनुदान, किए जा चुके भुगतान, स्वीकृत और शुरू हो चुके कामों, काम की लागत और खर्चे के ब्यौरे, काम की अवधि, सृजित श्रम दिवस, स्थानीय समितियों की रिपोर्टों तथा मस्टर रोल की प्रतियां आदि जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये जानकारियां, महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में लगी सभी एजेंसियों के सभी कार्यालयों के बाहर एक तय प्रारूप के अनुसार चिपकाई जाएंगी। उनकी प्रति हर तिमाही में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

13.8.5 लोगों को पता होना चाहिए कि इस योजना से संबंधित सूचनाएं और रिकार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कौन कर सकता है। इस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोटे तौर पर एक समय–सीमा तय होनी चाहिए। जिन अधिकारियों से ये जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं, उन सभी के नाम और संपर्क पते जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एनआरईजीए से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों का शुल्क उन कागजात की फोटो कॉपी पर आने वाली लागत से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.8.6 यथा संभव, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

13.8.7 प्रत्येक ग्राम पंचायत के महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित खातों को अपनी ओर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए और साल में कम से कम दो बाद उन्हें अद्यतन किया जाए। पंचायत भवन पर दीवार लेखन, नोटिस बोर्ड और लागत मूल्य पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशन आदि विविध माध्यमों से इन खातों का सार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

13.8.8 स्थानीय कार्यों, रोजगार और निधियों से संबंधित रिपोर्ट कार्ड को ग्राम पंचायत की ओर से पंचायत परिसर या अन्य प्रमुख स्थानों जैसे विद्यालयों, सामुदायिक केन्द्रो में लगाया जाना चाहिए। इन्ही दस्तावेजों को कार्यक्रम अधिकारी की ओर से मध्यवर्ती पंचायतध्कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में और पूरे जिले के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से जिला कार्यक्रम समन्वयकधजिला पंचायत कार्यालय के बाहर चिपकाया जाना चाहिए।

13.9 कार्यस्थलों की पारदर्शिता

13.9.1 कार्य–स्थल पर निम्नलिखित के माध्यम से पूर्व में जानकारी दी जाएगी।

i) नागरिक सूचना बोर्डों के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करना।

ii) प्राधिकृत व्यक्ति दिन में काम पूरा होने के बाद कामगारों की उपस्थित में उपस्थिति, किए गए कार्य तथा भुगतान की गई मजदूरी के संबंध में मस्टर रोल जानकारी पढ़कर सुनाएगा।

iii) कार्यों के मापन के दौरान कामगारों के सामने मापन पुस्तिका में दर्ज माप को भी पढ़कर सुनाएगा।

13.9.2 निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रत्येक कार्य के लिए कार्यस्थल फाइल रखी जाएगी तथा यह फाइल ग्राम पंचायत के सभी निवासियों, सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्यों वहां आने वाले अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों इत्यादि की पहुंच में भी होगी:

i) कार्यों का विवरण

ii) प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति के विवरण

iii) कार्य की अवधि तथा संभावित श्रम दिनों का सृजन

iv) कामगारों तथा भुगतान की गई मजदूरी का विवरण

v) बैठकों का उपक्रम

vi) उपलब्ध कराई गई श्रम सुविधाएं

vii) मदवार उपयोग की गई सामग्री जिसमें स्रोत, इकाई लागत, कुल लागत इत्यादि का उल्लेख हो।

viii) कामगारों द्वारा की गई शिकायतें

ix) निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां, सतर्कता और निगरानी समिति की रिपोर्ट

x) कार्यस्थल फाइल को कम से कम पांच कामगारों ने प्रमाणित किया हो।

13.9.3 कार्यस्थल (कम से कम तीन स्थितियों में)– काम के पूरा होने से पहले, इसके दौरान तथा इसके बाद) के फोटोग्राफ को मंत्रालय की वेबसाइट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड किया जाएगा। जहां तक संभव हो सके ये फोटोग्राफ भूसंदर्भित हो।

13.10 ग्राम सभा द्वारा स्व–घोषणा

13.10.1 महात्मा गांधी एनआरईजीएस का कार्यान्वयन करते समय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा मुख्य दस्तावेजों की स्व–घोषणा की सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से तथा अपनी तरफ से लगाया जाना चाहिए। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से ग्राम सभाओं की बैठकें की जानी चाहिए।

i) भुगतान की गई मजदूरी तथा सामग्री घटक के साथ पूरे हो चुके तथा चल रहे दोनों कामों के नाम।

ii) ऐसे व्यक्तियों का नाम, मुख्यतया जॉब कार्ड सं. के साथ, जिन्होंने काम किया है, जितने दिन काम किया है तथा प्रत्येक को भुगतान की गई मजदूरी।

iii) सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी के नाम के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्रियों की मात्रा तथा मूल्य।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

क्रमांकः 1505 /ज.शि.नि.प्र./एनआर–14/ 2013, भोपाल, दिनांक : 14/02/2013

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त (योजना), म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. मीडिया ऑफिसर, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

अनुबंध 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

(कार्य स्थल पर प्रदर्शित किए जाने के लिए)

कार्य का नाम

ब्यौरा (स्थल–खसरा सं.) :

(क से ख तक)*:

परियोजना :

निष्पादन एजेंसी :

स्वीकृत राशि:

कार्य शुरू करने की तारीख :

ग्राम/ग्राम पंचायत

वर्ष :

दरों की अनुसूची :

सामग्री मजदूरी अनुपात :

समापन की तारीख :

अपेक्षित सामग्री			कार्य की तकनीकी विशेषता
सामग्री का नाम	स्थानीय इकाई के साथ मात्रा	दर प्रति इकाई	
अपेक्षित मजदूरी			
कुशल			
अर्ध कुशल			
अकुशल			

स्थल पर उपलब्ध कागजात

आगे सूचना के लिए सम्पर्क करें

*क से ख : क ग्राम से ख ग्राम तक सडक का निर्माण

अनुबंध–2

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

(सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाने वाली सूचना)

ग्राम पंचायत अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यो की सूचना

ग्राम पंचायत   पंचायत समिति

जिला   वार्ड गांव

वर्ष	निष्पादन एजेंसी	क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम	वार्ड	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			
						मजदूरी	सामग्री	जोड	मजदूरी	सामग्री	जोड	कार्य की वास्तविक स्थिति